Form 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 38-Neem Ka Thana Assembly constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Shri SURESH MODI

MAYA BHAWAN, WARD NO. 28 CHHAWANI PO. NEEMKATHANA 332713

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Sikar Dated – 03 December, 2023

(Rajveer Singh Yadav)

Returning Officer
Assembly Constituency Neem Ka Thana (38)

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Neem Ka Thana)

(Rajveer Singh Yadav) Returning Officer (SDM) Neem Ka Thana (038)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

38-नीम का थाना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री सुरेश मोदी माया भवन, वार्ड नं. 28 छावनी पो. नीमकाथाना 332713

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - सीकर

दिनांक - 03 दिसम्बर 2023

(राजवीर सिंह यादव) रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना (38)

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट नीम का थाना)

(राजवीर सिंह यादव) रिटनिंग ऑफ़िसर (एस.बी.एम.) नीमकाषाना (080)